ISSN: 0973-0583

ब्रिटिशकालीन बिहार में प्रतिबंधित साहित्य 1930 से 1942

डोली कुमारी

शोध छात्रा, इतिहास विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

डॉ० नूपुर

शोध पर्यवेक्षक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, टी० पी० एस० कॉलेज, पटना

परिचय

साहित्य समाज का वह दर्पण होता है जिसमें समाज में होने वाले तमाम बदलावों को देखा जा सकता है तथा यह समाज को परिवर्तनों एवं सुधारों के लिए प्रेरित करता है। सरकार और साहित्य का रिश्ता किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक गतिशीलता को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है एवं उनके बीच परस्पर शासन व्यवस्था तथा समानता व स्वतंत्रता को लेकर वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। औपनिवेशिक काल में राष्ट्रवादी साहित्यिक कृतियों ने ना सिर्फ ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों की आलोचना की बल्कि देश के लोगों को एकजुट होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। देश की जनता दोषपूर्ण तथा भेदभावपूर्ण नीतियों से बेहाल हो चुकी थी। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक लूट तथा भारतीय उद्योग धंधों के प्रति अपनाए गए उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण देश की स्थिति इतनी बद्तर हो चुकी थी कि कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश की जनता आज अपने जीवन निर्वाह के मूलभूत आवश्यकताओं को भी प्राप्त करन को संघर्षरत थी। भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने हेतु सरकार की ओर से कोई बेहतर प्रयास नहीं किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रवादी व सरकार की नीतियों के प्रति आलोचनावादी लेखनी ने देश की जनता पर काफी गहरी छाप छोड़ी। इनके प्रभाव के कारण लोगों का रूझान स्वतंत्रता और स्वराज प्राप्ति हेतु क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ा और वह किसी भी स्थिति में देश को स्वतंत्र करने को प्रयासरत थे। फलत: विरोध की भावना को प्रेरित करने से रोकने तथा आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इन सभी तत्त्वों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया जो उनके शासन व्यवस्था की निरंतरता के लिए चुनौती बनकर उभर रहे थे। सरकार के प्रति विरोधी भावना को प्रेषित करने वाली साहित्यक कृतियों को देश की सुरक्षा व शांति के लिए खतरा का बहाना बनाकर विभिन्न प्रेस अधिनियमों के अंतर्गत उनके रचनाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बार-बार दमन किया गया। इसके बावजूद भी राष्ट्रवादी लेखकों ने बड़ी ही निडरतापूर्वक सामना किया तथा दमन के बावजूद अपनी लेखनी के माध्यम से जनता को ब्रिटिश सरकार के भेदभावपूर्ण नीतियों व देश की बदतर हो रही स्थिति के प्रति सचेत करने का प्रयास जारी रखा।

1. डॉक्टर मीना के अनुसार "प्रतिबंध शब्द का सामान्य अर्थ है निषेध अर्थात् पाबंदी यानि किसी को किसी काम के लिए मना करना।"

2. ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व कर्मचारी विलियम बोल्ड के द्वारा 1776 में कोलकाता में एक समाचार पत्र प्रारंभ करने का असफल प्रयास किया गया। बोल्ड के असफल प्रयास के लगभग 4 वर्ष बाद 29 जनवरी 1780 को एक अन्य यूरोपीय जेम्स ऑगस्टस हिकी ने अपने कोलकाता में राधा बाजार स्थिति कार्यालय से देश के प्रथम समाचार पत्र के रूप में बंगाल गजट अथवा कोलकाता जनरल एडवाइजर के नाम से 29 बाय 28 सेंटीमीटर की लंबाई-चौड़ाई के पेज वाले दो पत्रों के साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की।" ब्रिटिश काल में पहले प्रतिबंध की शुरुआत हिकी के बंगाल गजट के प्रतिबन्धन से ही शुरू हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व गवर्नर जनरल एवं उनकी पत्नी व अन्य न्यायाधीश पर व्यक्तिगत टिप्पणी के कारण ही हिकी को आर्थिक दंड के साथ-साथ कारावास की भी सजा को भुगतना

पड़ा। प्रतिबंधों के बावजूद भी वह बंगाल गजट का प्रकाशन करता रहा किंतु गवर्नर जनरल वारे हेसिटंग्स के द्वारा हिकी की लिखित रचनाओं के कारण उन पर कड़ी कार्रवाई की गई जिसके फलस्वरूप अंततः 1782 ईस्वी में बंगाल गजट को बंद करना पड़ा। इस कार्रवाई से कुछ सालों तक प्रेस की रवैया सरकार की तरफ नरम ही रहा परंतु समय के साथ भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया तथा प्रेस का सरकार के प्रति बदलती नीतियों के मद्देनजर बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस पर नियंत्रण हेतु बार-बार अधिनियम लागू किया जाता रहा। हालांकि कभी-कभी शांति काल में कुछ हद तक प्रेस के प्रति नरमी भी बरती गई।[3] जैसा कि मनीषा पांडेय के अनुसार 1780 के दशक में व्यापारिक शासन और समाचार पर उद्योग की स्थापना से लेकर 1857 की विद्रोह तक भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने किताबों और समाचार पत्रों के उत्पादन को प्रतिबंधित करने वाली अपनी शक्तियों को कठोर करने या ढ़ीला करने के बीच उतार-चढ़ाव को दो चरण सीमाओ को 1823 के दमनकारी एडम अधिनियम और 1835 के अधिनियम द्वारा दर्शाया गया है।[4] परंतु एन जी बैरियर ने लिखा है 1857 के विरोध ने अड़ियल संपादकों के लिए पूर्व सेंसरशिप और जेल की सजा के रूप में नियंत्रणों का नवीकरण किया गया इसके बाद 1878 तक उन नियंत्रण में ढील दी गई जब एक नए गैंगिंग एक्ट ने अधिकारिक नीति पर स्थानीय भाषा के अखबारों की टिप्पणी को सीमित करने की कोशिश की। समान तौर पर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार का रूख प्रेस तथा प्रशासन के प्रति कठोर ही रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रेस अधिनियमों जैसे 1799 का प्रेस अधिनियम, 1823 का प्रेस अधिनियम, 1857 का प्रेस अधिनियम, 1908 का प्रेस अधिनियम, 1910 का प्रेस अधिनियमों को समय-समय पर लागू कर ऐसे प्रतिरोध के स्वरों को रोकने का प्रयास किया गया जो कि उनके लिए खतरा बनकर उभर रहे थे।

1930 से 1942 तक की अवधि स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस काल में काफी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं जिनका प्रभाव बिहार पर भी व्यापक रूप से पड़ा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज तथा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की बात को शामिल किया गया। गांधीजी द्वारा वायसराय के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी गई जिसकी पूर्ति न होने पर गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का आरंभ किया गया तथा 8 अप्रैल को दांडी पहुंचाकर नमक कानून को तोड़ा गया। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया।[5] बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। इस सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में हुआ सरकारी दमन चक्र ने कठोर रूप धारण किया और लगभग 13000 लोग कैद कर लिए गए । पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच लोगों ने अनेक बार प्रदर्शन किया और पुलिस की मारपीट एवं अत्याचार को संयम के साथ सहन किया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु बिहार में भी व्यापक कार्यक्रम चलाए गए। चौकीदारी कर को बंद करने के लिए बिहार में आंदोलन हुआ। राष्ट्रवादियों द्वारा बढ़ते दबाव तथा बदलती स्थिति को देखते हुए[6] 1935 का अधिनियम लाया गया। भारत सरकार कानून के अंतर्गत प्रांतों में स्वायत शासन और केंद्र में वैध शासन लागू हुआ। इसी वर्ष बिहार से उड़ीसा को पृथक कर एक नया प्रांत बनाया गया। बिहार में पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की व्यवस्था हुई। 1935 के कानून के अंतर्गत भारत में जनवरी 1937 में चुनाव कराए गए। बिहार में कांग्रेस को प्रभावकारी बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 स्थान में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 58 स्थान पर उसे विजय मिली। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का नियंत्रण दिया मगर राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के विधायक अधिकारियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्णा सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया तत्पश्चात राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेस मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद युनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार के त्यागपत्र के बाद श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में पुनः मंत्रिमंडल का गठन हुआ।[7] द्वितीय विश्व

युद्ध में जब सिंतबर 1939 में आरंभ हुआ और इंगलैंड की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया तो विरोध में कांग्रेस ने सरकार के सहयोग को समाप्त कर दिया तथा सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों का विघटन हो गया। बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह ने 31अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया।" बिहार में देशवासियों का स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर ऐसे पत्र-पत्रिकाओं का निर्माण एवं प्रचार-प्रसार किया गया जो की देश भक्ति भावना से परिपूर्ण थे तथा ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाते थे जैसे कि[8] प्रभुनारायण मित्र द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय गीत को सरकार द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि इनकी पहली कविता में देश की खातिर मौत का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया गया था। दूसरी कविता में शराब का बहिष्कार तीसरी कविता में गांधीजी तथा उनके आदर्शों के पालन हेतु प्रेरित करने का संदेश अंकित था।[9] इसी तरह महेश चंद्र प्रसाद द्वारा रचित स्वदेश सत्सई पत्रिका थी यह पत्रिका महात्मा गांधी को समर्पित थी। पहली कविता में स्वराज पार्टी के नेताओं के लिए प्रार्थना थी जिसमें कुछ के नाम गांधी, तिलक, लाजपत, मालवीय, जवाहर आदि थे मातृभूमि नामक एक अन्य कविता थी जिसमें लिखा था मातृभूमि बर्बाद हो रही है। खुद को धूल में मिला लो और सम्मान बनाए रखो। मृत्यु सभी के लिए निश्चित है चाहे आज हो या कल, जो देश और धर्म के लिए मरते हैं उनके सिर पर ताज होता है, को भी सरकार के प्रतिरोध को झेलना पड़ा।[10]

निष्कर्ष:

बंगाली पंपलेट वंदे मातरम दैनीय पुकार को भी इसी तरह सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण प्रतिबंधित किया गया। इसी तरह महावीर, राष्ट्रीय गीत संग्रह, शहीद सरदार, भगत सिंह, जख्मी जिगर, गांधी बिगुल, महावीर, विजय, भारत, स्वतंत्रता का बिगुल, मेरा उद्देश्य, राष्ट्रीय मुरली, राष्ट्रीय गीतावली जैसे साहित्यिक कृतियों आदि को सरकार के दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा जो कि देशवासियों में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार-प्रसार कर रहे थे।

ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रवादी लेखन को रोकने के लिए उनके रचनाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विभिन्न प्रेस अधिनियम के अंतर्गत बार-बार दमन किया गया तथा इसके बावजूद भी राष्ट्रवादी रचनाकार ने निडरतापूर्वक अपनी लेखनी के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं तथा परिस्थितियों से देश की जनता को अवगत कराकर तथा देश की जनता में राष्ट्रवादी भावना को जागृत कर स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. डॉक्टर मीना, इतिहास के आईने में प्रतिबंधित साहित्य।
2. शुक्ल नरेन्द्र, उपनिवेश अभिव्यक्ति और प्रतिबंध, अनन्य प्रकाशन, पृ0सं0-38
3. पांडे मनीषा, Patriotic literature proscribed by the British Raj, writers choice, page no-2
4. Barrier n.g. banned controversial literature and political condition in British India, Manohar publicaton page no-4
5. अहमद इम्तियाज, अहसन कमर, बिहार एक परिचय, नेशनल पब्लिकेशन, पृ0सं0-56
6. अहमद इम्तियाज, अहसन कमर, बिहार एक परिचय, नेशनल पब्लिकेशन, पृ0सं0-62
7. अहमद इम्तियाज, अहसन कमर, बिहार एक परिचय, नेशनल पब्लिकेशन, पृ0सं0-63
8. Proscribed document in the record of Bihar State archive, political special file no 108/1931
9. Proscribed document in the record of Bihar State archive, political special file no 118/1931
10. Proscribed document in the record of Bihar State archive, political special file no 145/1931

❖❖❖